



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 20]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

का.आ. 29(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ-(1) इस स्कीम का नाम इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 होगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषा: इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "इलेक्टोरल बांड" का अर्थ प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में जारी बांड है जो एक धारक बैंकिंग लिखित होगा और इस पर क्रेता या आदाता का नाम नहीं होगा;

(ख) "प्राधिकृत बैंक" का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक जो इस अधिसूचना के अनुबंध-1 में यथा विनिर्दिष्ट शाखाओं में बांड जारी करने और उसके नकदीकरण के लिए प्राधिकृत है;

(ग) "निर्गमकर्ता शाखा" का अर्थ है इलेक्टोरल बांड जारी करने के लिए अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत बैंक की नामोद्दिष्ट शाखा;

(घ) "व्यक्ति" में शामिल हैं-

(i) व्यक्ति;

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार;

(iii) कंपनी;

- (iv) फर्म;
- (v) व्यक्तियों का संघ अथवा व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हों अथवा न हों;
- (vi) किसी पूर्ववर्ती उप-खंडों में न आने वाला प्रत्येक कृत्रिम वैधिक व्यक्ति; और
- (vii) ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

3. इलेक्ट्रोल बांड खरीदने और नकदीकरण के लिए पात्रता-(1) इस स्कीम के तहत बांड ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो अथवा भारत में निगमित या स्थापित हो।

- (2) एक व्यक्ति व्यष्टि होने के नाते अकेले अथवा अन्य व्यष्टियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।
- (3) इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- (4) इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

4. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की प्रयोज्यता (1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के ग्राहक के लिए "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) के संबंध में जारी वर्तमान अनुदेश इन बांडों के क्रेताओं पर लागू होंगे।

- (2) यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकृत बैंक अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के संबंध में किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकता है।

5. मूल्यवर्ग - ये बांड ₹ 1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000 और ₹1,00,00,000 के मूल्यवर्ग में जारी किए जाएंगे।

6. बांड की वैधता- (1) बांड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बांड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (2) किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

7. बांडों की खरीद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया - (1) बांड खरीदने का इच्छुक प्रत्येक क्रेता इस अधिसूचना के **अनुबंध-II** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में वास्तविक रूप में या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

- (2) प्रत्येक आवेदन में **अनुबंध-II** में दिए गए प्रारूप के अनुसार विवरण शामिल होंगे और इसके साथ विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

- (3) आवेदन प्राप्त होने पर, निर्गमकर्ता शाखा अपेक्षाएं पूर्ण पाई जाने पर अपेक्षित बांड जारी करेगी।

- (4) क्रेता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और किसी भी प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, सिवाय तब जब सक्षम न्यायालय द्वारा मांगी जाएं अथवा किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो।

- (5) "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) के मानदंडों का पालन न करने वाले आवेदन या स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- (6) क्रेता को बांड, वापस न करने योग्य आधार पर जारी किया जाएगा।

8. बांडों के निर्गम की अवधि- (1) इस स्कीम के तहत बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर प्रत्येक महीने में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने के लिए 10 दिन की अवधि, जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, के लिए उपलब्ध होंगे।

- (2) लोक सभा के लिए आम चुनाव होने वाले वर्ष में इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

9. ब्याज- बांड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

10. निर्गमकर्ता कार्यालय और देय कमीशन- बांड की खरीद करने के लिए क्रेता द्वारा बांड निर्गम हेतु कोई कमीशन, दलाली या कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा।

11. भुगतान के विकल्प- (1) बांड के निर्गम के लिए सभी भुगतान भारतीय रुपए में, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक से अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से या क्रेता के खाते से सीधे नामे डालकर स्वीकार किए जाएंगे।

(2) जहां भुगतान बैंक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो यह ऐसे बांड के निर्गम के स्थान पर निर्गमकर्ता बैंक के पक्ष में किया जाएगा।

12. बांड का नकदीकरण- (1) इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने नामोद्दिष्ट बैंक खाते में इसे जमा करके किया जाएगा।

(2) पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर नकदीकृत न किए गए बांडों की राशि प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी।

13. कर उपाय- बांडों का अंकित मूल्य आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क के तहत आयकर से छूट के प्रयोजन से, पात्र राजनीतिक पार्टी को प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय मानी जाएगी।

14. बांडों का कारोबार- बांड कारोबार के लिए पात्र नहीं होंगे।

अनुबंध-

**प्राधिकृत बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
[खंड 2(ख) देखें]**

निर्गमकर्ता शाखाओं की सूची: [खंड 2(ग) देखें]

क्र.सं.	राज्य	शाखा कोड	शाखा का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	952	विशाखापतनम
		948	विजयवाड़ा
2.	अंडमान और निकोबार	156	पोर्ट ब्लेयर
3.	अरुणाचल प्रदेश	6091	ईटानगर
4.	असम	78	गुवाहाटी
5.	बिहार	152	पटना मुख्य शाखा
6.	चंडीगढ़	626	चंडीगढ़ मुख्य शाखा
7.	छत्तीसगढ़	461	रायपुर
		336	बिलासपुर
8.	दादर और नागर हवेली	6586	सिलवासा
9.	दमन और दीव	514	दमन
10.	दिल्ली	691	नई दिल्ली मुख्य शाखा
11.	गोवा	509	पणजी
12.	गुजरात	1355	गांधीनगर
		301	अहमदाबाद
13.	हरियाणा	645	नई कौलोनी गुडगांव
14.	हिमाचल प्रदेश	718	शिमला
15.	जम्मू और कश्मीर	2295	बादामी बाग बीआर श्रीनगर
		657	जम्मू
16.	झारखंड	167	रांची
17.	कर्नाटक	813	बंगलोर मुख्य शाखा
		846	हुबली
18.	केरल	941	तिरुवनंतपुरम मुख्य
19.	लक्षद्वीप	5080	कावारती
20.	मध्य प्रदेश	1308	भोपाल मुख्य शाखा
		377	ग्वालियर मुख्य शाखा
21.	महाराष्ट्र	300	मुंबई मुख्य शाखा
		432	नागपुर

		454	पुणे मुख्य शाखा
22.	मणिपुर	92	इंफाल
23.	मेघालय	188	शिलांग
24.	मिजोरम	1539	आईजोल
25.	नागालैंड	214	कोहिमा
26.	ओडिशा	41	भुवनेश्वर
		59	कटक
27.	पुदुचेरी	900	पुदुचेरी
28.	पंजाब	674	लुधियाना
29.	राजस्थान	656	जयपुर मुख्य शाखा
		659	जोधपुर
30.	सिक्किम	232	गंगटोक
31.	तमिलनाडु	800	चेन्नई मुख्य शाखा
		827	कोयंबटूर
32.	तेलंगाना	916	सिकंदराबाद
		847	हैदराबाद मुख्य शाखा
		2	अगरतल्ला
33.	त्रिपुरा	125	लखनऊ
34.	उत्तर प्रदेश	86	गोरखपुर
		102	झांसी
		602	आगरा मुख्य शाखा
35.	उत्तराखंड	630	देहरादून मुख्य शाखा
36.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता मुख्य शाखा
		184	सिलीगुड़ी

अनुबंध-1।

इलेक्टोरल बांड जारी करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

इलेक्टोरल बांड (वर्ष) के लिए आवेदन-पत्र		
जारी करने वाले बैंक का नाम:	शाखा का नाम:	
दिनांक:		
अभिदान की विधि	चेक/डिमांड ड्राफ्ट	इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर
अपेक्षित इलेक्टोरल बांड का मूल्यवर्ग और नंबर (1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए 10,00,000 रुपए और 1,00,00,000 रुपए के मूल्यवर्ग में)		
पैन नं./टैन नं., यथा लागू		

आवेदक की स्थिति (दिनांक की अधिसूचना सं. के खण्ड 3(क) के अनुसार)	व्यक्ति	एचयूएफ	कम्पनी	फर्म	चैरिटेबल ट्रस्ट	अन्य
आवेदक का विवरण (स्पष्ट अक्षरों में)						
प्रथम/मुख्य आवेदक का पूरा नाम:						
पहचान का विवरण: (पासपोर्ट, आधार/मतदाता पहचान पत्र)						
दूसरे आवेदक का पूरा नाम:						
(परिस्थितियों के अनुसार और आवेदकों के नाम शामिल किए जा सकते हैं)						
पहचान का विवरण: (पासपोर्ट, आधार/मतदाता पहचान पत्र)						
प्रथम/मुख्य आवेदक का पूरा पता:						
संपर्क का विवरण/ फोन/फैक्स: ईमेल:						
घोषणा: मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं और वचन देता हूँ/देंते हैं कि (i) आवेदन पत्र में दी गई सूचना सभी प्रकार से सही है। (ii) मैंने इलेक्टोरल बांड के क्रेता से संबंधित सूचना का विवरण और इलेक्टोरल बांड धारक के अधिकारों और कर्तव्यों को पढ़ और समझ लिया है।						
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर				
प्रथम आवेदक		दूसरा आवेदक				
यदि अँगूठे का निशान लगाया गया हो तो दो गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाए:						
प्रथम गवाह (विवरण)		दूसरा गवाह (विवरण)				
एचयूएफ के लिए घोषणा:						
मैं, प्रथम आवेदनक के सामने दिए गए पते पर रहने वाला, दृढतापूर्वक पूष्टि करता/करती हूँ कि मैं हिन्दु अविभाजित परिवार का कर्ता हूँ और इसलिए मुझे एचयूएफ के नाम मौजूद इलेक्टोरल बांड को खरीदने और अन्य प्रकार से उसका निपटान करने का पूरा अधिकार है।						
एचयूएफ के लिए और उसकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (एचयूएफ का नाम):						
स्थान:						
दिनांक:		कर्ता के हस्ताक्षर				
कार्यालय प्रयोग हेतु						

आवेदन प्राप्त होन की तारीख	बीएलए नं./ सीआईएफ नं.	एचयूएफ की स्थिति (हां/नहीं)	कोई अन्य सूचना
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

इलेक्टोरल बांड के क्रेताओं हेतु सूचना:

मद	इलेक्टोरल बांड
कौन खरीद सकता है	(1) इस योजना के अंतर्गत बांड उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। (2) कोई व्यक्ति अकेला या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।
निवेश की सीमा	कोई नहीं
इलेक्टोरल बांड का फॉर्म	गैर-वापसी योग्य बैंकिंग लिखत, वास्तविक रूप में
ब्याज का विकल्प	कोई ब्याज देय नहीं होगा
इलेक्टोरल बांड का अस्तित्व	जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है।
हस्तांतरणीयता	हस्तांतरणीय नहीं
इन इलेक्टोरल बांडों की प्रत्याभूति के बदले बैंकों से ऋण	अनुमति नहीं
आवेदन फार्म	अधिकृत बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध
नगदीकरण	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अंतर्गत केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी, जिसने लोक सभा या विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के पिछले आम चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो, बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

[फा. सं. 4(23)-बी(डब्ल्यू एण्ड एम)/2017]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2018

S.O. 29(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Electoral Bond Scheme, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.— In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) “**electoral bond**” means a bond issued in the nature of promissory note which shall be a bearer banking instrument and shall not carry the name of the buyer or payee;

(b) “**authorised bank**” means the State Bank of India authorised to issue and encash the bonds in the branches specified in **Annexure I** to this notification;

(c) “**issuing branch**” means a designated branch of the authorised bank specified in **Annexure I** for issuing electoral bonds;

(d) “**person**” includes-

(i) an individual;